

NIC

# नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायलय का)

## आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... तारीख ..... से ..... तक  
 जिला ..... अनुमंडल :- बाढ़, अंचल :- अथमलगोला का केस का प्रकार  
 428/13 14 ..... एवं वर्ष 2013 .....

आदेश का सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
07/07/13	<p>श्री/श्रीमति <u>राधा प्रसाद देवी</u>            पिता/पति <u>राधा-इ साठ</u>            ग्राम <u>H.कुली</u> थाना <u>अथमलगोला</u>            जिला पटना अंचला अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनामा बटवॉरा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।            अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के बिन्दु पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।            अभिलेख दिनांक <u>18/07/13</u> को उपस्थापित करें।</p>	
<h3>जमीन का विवरण</h3>		
<p>ग्राम /थाना नं० <u>अथमलगोला 107</u> खाता नं० <u>20</u>            खेसरा <u>527</u> रकबा <u>0.4.6875/50</u></p>		
<p><u>07/07/13</u>            अंचलाधिकारी,            अथमलगोला</p>		

07/07/13

13/07/13

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दामपत्र / बख्शीशनामा बटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु क्रेता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24/07/13 को उपस्थापित करें।

अंचलाधिकारी

अथमलगोला

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त

24/07/13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 25/07/13 को उपस्थापित करें।

अंचलाधिकारी

अथमलगोला

24/07/13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली के हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृति ..... दी जाती है।

शुद्धी पत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी

अथमलगोला

अंचलाधिकारी

अथमलगोला